फर्द अहकाम

(नियम (26)

अज अदालत ..... सिकराय .....

सरकार बनाम ..... श्री नारायण .....

किस्म मुकदमा ..... राजस्व ..... मु० नं० 103/19 .....

क्र हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक पश्चात प्रकरण के साथ सुनवाई पेश किया। साथ ही रजिस्टर किया जाकर अन्तर्कथन की तामीली की जाकर सुनवाई दि. 8-5-19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	
3/19	पत्रावली पेश हुई पैरोकार सरकार उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया बहस का मनन किया, सहायक कलेक्टर द्वारा सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया। मुताबिक सहमति पत्र अधिकार दुरुस्तीकरण का निर्देश किया। सहमति पत्र पर पटवारी भू.अ.नि. तथा तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध है। जिस पर भी दुरुस्ती करण का निर्देश किया गया है। ऐसी स्थिति में मुताबिक सहमति पत्र दुरुस्त किये जाने योग्य है। सहमति पत्र दिनांक 26-03-019 भी निर्णय व डिक्री का भाग होगा। अतः आगे कार्यवाही विचार किया जाता है। तथा विवादित ख.नं. 246 रकबा 1.15 हैक्टे. वाके राजस्व भूमि सीमला तह. सिकराय की राजस्व रिकार्ड में सहमति दिनांक 26.3-019 के मुताबिक दुरुस्ती करण के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते है। निर्णय और डिक्री लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	